कार्यवाही

गोंडवाना एक्सप्रेस से उतरे टीटीई से भारी मात्रा में कैश बरामद

विजिलेंस की टीम ने 3 टीटीई को दबोचा

जबलपुर, नवभारत। सोमवार की सुबह पश्चिम मध्य रेल की विजिलेंस टीम ने जबलपुर रेलवे स्टेशन में बड़ी कार्यवाही करते हुए तीन टीटीई की जांच की जिसमे तीनों टीटीई गोंडवाना एक्सप्रेस से उतरे और जब उनके पास रखे कैश का मिलान किया गया तो तीनों के पास से लगभग 46 हजार रुपये अधिक पाए गए। घटना की जानकारी लगते ही वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डा. मधुर वर्मा के निर्देश पर तीनों टीटीई को तत्काल प्रबाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

यात्रियों ने की शिकायत

सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन क्रमांक 22182 गोंडवाना एक्सप्रेस के स्लीपर और वातानुकूलित कोच में तीन टीटीई

कर्मचारी क्रमश: मनोज कुशवाहा, कुंदन कुमार व अनिकेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। ये तीनों टीटीई गोंडवाना एक्सप्रेस लेकर जबलपुर आ रहे थे। बताया जाता है कि किसी यात्री द्वारा विजिलेंस टीम को मोबाइल फोन पर यह सूचना मिली की ट्रेन में सवार टीटीई द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है और जुर्माना वसूलने के एवज में जुर्माने की रसीद भी नहीं दी जा रही है।

प्राप्त की गई राशि

बताया जाता है कि पकड़े गए टीटीई कर्मचारियों के पास कुंदन कुमार से 32 हजार रुपये, अनिकेश कुमार से 14 हजार रुपये व मनोज कुशवाहा के पास से भी भारी राशि विजिलेंस टीम ने बरामद कि है।

घात लगाए बैठी थी विजिलेंस की टीम

जबलपुर में सूचना मिलने के पश्चात मुख्य स्टेशन पर घात लगाए हुए बैठी विजिलेंस की टीम के सदस्यों ने सुबह 10 बजे गोंडवाना एक्सप्रेस के प्लेटफार्म पर आते ही टीम ने तीनों टीटीई को घेर लिया और जब उनके पास रखे हुए कैश का मिलान किया गया तो टीटीई द्वारा ट्रेन में सवार होने से पहले जो कैश का डिक्लियरेशन किया गया था उससे अधिक राशि प्राप्त हुई। जिस पर विजिलेंस ने केस बनाते हुए पूरा मामला जबलपुर रेल मण्डल के सीनियर डीसीएम डॉ.मुधर वर्मा को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया है।

इनका कहना है

विजिलेंस की टीम ने तीन टीटीई को कैश के साथ पकड़ा है। जानकारी लगते ही तीनों टीटीई को सस्पेंड करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

डा. मधुर वर्मा
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जबलपुर रेल मंडल

हाईकोर्ट ने नाबालिग को पिता को सौंपने के दिये आदेश

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जेके पिल्लई की युगलपीठ ने नाबालिग बेटी को पिता को सौंपने का आदेश सुनाया। इसी के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण कर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्ता सागर निवासी जगदीश अठिया की ओर से दलील दी कि नाबालिग बेटी की आयु 15 वर्ष है। वह लापता हो गई थी। जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। जिसके बावजूद पुलिस तलाश नहीं कर रही थी। इसीलिए हाईकोर्ट आना पड़ा। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने नाबालिग को तलाश कर पेश किया। जहां उसके बयान को रिकार्ड पर लेने के साथ ही नाबालिग को पिता को सौंप जाने का राहतकारी आदेश पारित कर दिया गया। इसी के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पटाक्षेप कर दिया गया।

विधि छात्रों को एग्जाम में शामिल करने के निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से विधि छात्रों को राहत मिली है। जस्टिस जीएस आहलूवालिया व जस्टिस दीपक खोत की अवकाशकालीन पीछ ने 10 जून को होने वाली परीक्षा में उन्हें शामिल करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब जवाब तलब किया है। युगलपीठ ने मामले की सुनवाई संबंधित अन्य याचिका के साथ संयुक्त रूप से करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है।

यह मामले में सागर बीना निवासी अमित दांगी, गौरव राजपूत, कपिल व अन्य की ओर से दायर किये गये थे। जिनकी ओर से अधिवक्ता स्मिता वर्मा अरोरा ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि आवेदकों को छठवें सेमेस्टर में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसका कारण यह बताया गया कि 50 फीसदी से कम अंक है। जबकि अब केवल द्वितीय श्रेणी के उम्मीदवारों को ही उसकी पात्रता है। आवेदकों की ओर से कहा गया कि 45 फीसदी के ऊपर वाले द्वितीय श्रेणी के माने जाते थे, उसके नीचे तृतीय श्रेणी निर्धारित थी। आवेदक पचास फीसदी अंकों की पात्रता रखते है और पूर्व के एग्जाम देते आये है। दलील दी गई कि इसके पूर्व भी ऐसे मामलों में अभ्यार्थियों को राहत दी गई। मामले में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, रजिस्ट्रार महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विवि, प्रिंसिपल लॉ कालेज सागर व परीक्षा नियंत्रक विवि को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश दिये।

दुष्कर्म पीड़िता को हाईकोर्ट ने मां बनने की दी अनुमति

हाईकोर्ट के जस्टिस आरके वाणी की ग्रीष्म अवकाश कालीन पीठ ने दुष्कर्म से गर्भवती हुई एक नाबालिग पीड़िता के मामले में संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे बच्चें को जन्म देने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही राज्य शासन को निर्देशित किया है कि नवजात के 16 वर्ष की आयु तक उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य आवश्यक जरूरतों का खर्च वहन किया जाए। न्यायालय ने उक्त आदेश खरगौन जिले के बालकवाड़ा थाना क्षेत्र से जुड़े एक पाक्सो प्रकरण में पारित किया। गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक होने तथा पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मंडलेश्वर स्थित विशेष पाक्सो न्यायालय ने मार्गदर्शन हेतु प्रकरण हाईकोर्ट को प्रेषित किया था, जिस पर संज्ञान लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने माता-पिता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुई। न्यायालय के समक्ष उसने स्पष्ट कहा कि वह गर्भपात नहीं कराना चाहती और बच्चें को जन्म देना चाहती है। उसके माता-पिता ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। पीड़िता एवं उसके परिवार की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए हाईकोर्ट ने गर्भ समापन संबंधी कार्यवाही समाप्त कर दी।

आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में आगे आये विधायक

उप मुख्यमंत्री ने राशि डलवाने किया निर्देशित

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल सहित जिले के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हक के लिए जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल से सोमवार को भोपाल में भेंट की एवं कर्मचारियों से जुड़े विषय को रखा,जिस पर मंत्री ने त्वरित रूप से इस विषय को संज्ञान में लेते हुए कर्मचारियों के खातों में राशि डलवाने को लेकर निर्देशित किया।

इस संबंध में जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने बताया कि जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में कार्यरत हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की रुकी हुई वेतन का मामला लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ था। इस गंभीर समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ला से भेंट कर कर्मचारियों की आर्थिक तंगी व परेशानियों से अवगत कराया। विधायक के अनुसार उनके आग्रह को बेहद संवेदनशीलता से सुनते हुए मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को कर्मचारियों के खातों में राशि डलवाने के कड़े निर्देश दिए हैं।

सुबह बरसे मेघ, धूप-बादलों की चली लुकाछिपी

मौसम का बदला मिजाज शाम को चली तेज हवाएं

नवभारत, जबलपुर। मानसून की आहट के बीच सोमवार को सुबह से मौसम का मिजाज बदला रहा। मौसम के कई रंग देखने को मिले। सुबह की शुरुआत तेज उमस और गर्मी के साथ हुई थी, जिससे लोग बेहाल थे। लेकिन सुबह ठीक 11 बजे के बाद अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया।

आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश की फुहारों ने लोगों को भीषण गर्मी से फौरी राहत दी। हालांकि, यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी और कुछ ही देर में बादल छंट गए और तेज धूप निकल आई। दिनभर कभी कड़कती धूप तो कभी बादलों की छांव ने लोगों को हैरान किया। शाम होते-होते मौसम

ने एक बार फिर करवट बदली। तेज और ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई।

40 डिग्री पार रहा पारा

सोमवार को अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा । न्यूनतम तापमान 29 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 56 और शाम को 44 प्रतिशत दर्ज की गई। पश्चिमी हवाएं 5 से 6 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली ।

अरुणाचल प्रदेश से एनओसी लेकर पंजीकृत 46 वाहनों का पंजीयन निरस्त

नवभारत, जबलपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ), जबलपुर ने अरुणाचल प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर पंजीकृत हुए 46 वाहनों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

परिवहन पोर्टल के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश से एन.ओ.सी. प्राप्त कर कार्यालय में कुल 56 वाहनों का पंजीकरण हुआ था। इन वाहनों के चेसिस नंबर का सत्यापन संबंधित निर्माता कंपनियों से कराए जाने पर यह पाया गया कि 46 वाहनों का पंजीकरण मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया था और उनके चेसिस नंबर भी गलत या असत्य थे।

इस पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (5) के अंतर्गत इन 46 वाहनों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर वाहन स्वामियों को सूचित कर दिया गया है। इस मामले में आगे की कार्यवाही करते हुए, इनमें से 5 वाहन जो अन्य जिलों में पंजीकृत पाए गए, उनके संबंध में संबंधित जिलों को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सभी 46 वाहनों की सूची पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गई है, जिसमें पुलिस विभाग से अनुरोध किया गया है कि यदि ये वाहन मार्ग पर संचालित होते पाए जाएं, तो उन्हें जब्त कर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को अवगत कराया जाए। साथ ही, परिवहन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड को भी इन वाहनों के संचालन पर उन्हें जब्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जिन वाहनों पर कार्रवाई हुई है उसमें बसें, गुड्स ट्रक और एक एलएमवी श्रेणी का वाहन शामिल हैं।

पेंशन के लिए विकलांग, वृद्ध और विधवा काट रहे कार्यालय के चक्कर

भाजपा के राज में 600 रुपए की पेंशन में 4 माह से गोलमाल
कांग्रेसियों ने लगाए आरोप

नवभारत, जबलपुर। भाजपा सरकार के राज में आरोप विकलांग, वृद्ध एवं विधवा हितग्राहियों को हर माह मिलने वाली 600 रुपये की पेंशन पिछले 4 माह से नहीं मिल रही है। ये आरोप शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं जवाहरगंज वार्ड के जनसेवक मनोज नामदेव,

आशीष तिवारी, अंशित सोनी, युवराज तिवारी, सागर भारद्वाज सहित अन्य कांग्रेसियों ने लगाए हैं। कांग्रेसजनों ने कहा कि नगर निगम के जोन कार्यालयों से लेकर बैंकों तक विकलांग, वृद्ध एवं विधवा महिलाएं लगातार चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें उनकी पेंशन की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जबकि जनसेवक मनोज नामदेव के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद भी हितग्राहियों को पेंशन नहीं मिल पाई है ।

कांग्रेसियों ने दी चेतावनी

कांग्रेस नेताओं एवं पार्षदों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही 4 माह की लंबित पेंशन एवं आगे मिलने वाली पेंशन समय पर हितग्राहियों के खातों में नहीं पहुंचाई गई, तो कांग्रेसजन आंदोलन, घेराव, प्रदर्शन एवं तालाबंदी करने को बाध्य होंगे। इस दौरान कांग्रेसियों ने नगर निगम, नगर पालिका एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से मांग की कि वृद्ध, विधवा, निराश्रित एवं विकलांग हितग्राहियों की पेंशन में किसी प्रकार की हेराफेरी न की जाए तथा समय पर उनके खातों में राशि पहुंचाई जाए।

रिश्वतखोर रेलवे का उप मुख्य अभियंता गया जेल

नवभारत, जबलपुर। रिश्वतकांड में फंसे रेल्वे के उप मुख्य अभियंता नारायण सिंह बुंदेला को सीबीआई जबलपुर ने रिमांड में लेकर लंबी पूछताछ की। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर सुरक्षा जमा राशि की रिहाई, लंबित बिलों के भुगतान के एवज में एक लाख रूपए की रिश्वत लेने वाले आरोपी को सीबीआई ने पुन: न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है ।

विदित हो कि अभिषेक प्यासी पिता राम कुमार प्यासी 43 वर्ष,

निवासी लोधीपुरा, पथरिया जाट, सिरोंजा, जिला सागर ने गुरूवार को सीबीआई कार्यालय, जबलपुर में पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, जबलपुर को एक लिखित शिकायत करते हुए बताया था कि पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल के उप मुख्य अभियंता द्वितीय नारायण सिंह बुंदेला ने लगभग 1 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान सुरक्षा जमा राशि 67,84,820 रुपये, लंबित बिल 18,67,169.84 रुपये और पीवीसी से संबंधित कुछ बकाया की रिहाई के लिए 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है। जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया था और नारायण सिंह बुंदेला को गुरूवार देर रात सागर में शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते दबोचा था । आरोपी के गेस्ट हाउस के कमरे की तलाशी के दौरान, उसके घर से 62,000 रुपये की बेहिसाब नकदी और रियल स्टेट में निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। शुक्रवार को उसे जबलपुर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जिसके बाद रिश्वतखोर को 8 जून तक रिमांड में लिया था।

महिला के खाते से उड़े 1 लाख

जबलपुर । पनागर निवासी मनीषा का खाता बैंक आफइंडिया पनागर में है। मोबाईल पर फोन पे एप से वह अपने खातो के रूपयों का लेनदेन करती है। उसके मोबाईल में खाते से 80 हजार एवं 20 हजार रूपए ट्रांजेक्शन का मैसेज आया। जब उसने बैंक जाकर पता किया तो बैंक में 7 दिन बाद आने के लिये बोला, सर्वर डाउन होने की बात कहीं गई। उसके द्वारा मोबाईल से यूपीआई फोन पे या किसी अन्य माध्यम से ट्रांजेक्शन नहीं गया है । ठग ने 1 लाख रूपये ट्रांजेक्शन कर धोखाधड़ी है।

ग्रीष्मकालीन मूंग और उडद के उपार्जन के बने 28 पंजीयन केंद्र

जबलपुर । जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन 15 जून तक होगा। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग और उडद उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 25 मई से प्रारंभ हुई थी। किसानों की सुविधा को देखते हुये जिले में तहसीलवार समिति स्तर पर 28 पंजीयन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर भी अपना पंजीयन करा सकेंगे। किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जायेगा। समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों के अलावा किसान ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र, जनपद पंचायतों में स्थापित सुविधा केंद्र एवं तहसील कार्यालयों में भी नि:शुल्क पंजीयन करा सकेंगे।

लापरवाही

फरवरी माह में बरगी बांध नहर फूटने से 32 किसानों पर आई थी आफत

17 किसानों को मिला मुआवजा, 15 का भुगतान अटका

नवभारत, जबलपुर। फरवरी माह में ग्राम सगड़ा-झपनी के पास बरगी बांध की दाईं तट नहर फूटने से हुए फसल नुकसान के मुआवजे की कार्रवाई कागजी फेर में अटक गई है। दरअसल नहर फूटने के बाद जल संसाधन विभाग ने क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत का काम तो पहले ही पूरा कर लिया था, प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरण का काम चार माह बाद भी अधूरा है । प्रभावित 15 किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है।

इस हादसे की चपेट में कुल 32 किसान आए थे, जिनके खेतों में पानी भरने से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं। प्रशासन ने सर्वे के बाद मुआवजा वितरण शुरू किया, जिसके तहत अब तक 17 किसानों के खातों में 1,67,400 रुपये की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। जबकि 15 किसानों का भुगतान बाकी है ।

दस्तावेजों की त्रुटियों से फंसा पेंच

सूत्रों की माने तो राहत वितरण के बीच 15 किसानों का लगभग 75,000 रुपये का भुगतान दस्तावेजों, बैंक खातों समेत अन्य त्रुटियों के कारणों से अटक गया है। प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि शेष किसानों के बैंक खातों, समेत संबंधी दस्तावेजों में गंभीर त्रुटियां हैं। खामियों के कारण मुआवजा राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है । किसानों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं।

मंत्री ने दिए थे राहत राशि वितरित करने निर्देश

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से चर्चा की थी और खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका को देखते हुये शीघ्र सर्वे कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही प्रभावित होने पर किसानों को शीघ्र राहत राशि प्रदान करने भी निर्देश दिए थे ।

सुधार के लिए लेटर जारी

अटकी हुई मुआवजा राशि किसानों तक पहुंचाने के लिए संबंधित पटवारी व अन्य को पत्र जारी किए जा रहे हैं। निर्देशित किया गया है कि वे दस्तावेजों की कमियों को तत्काल दूर करवाएं। जैसे ही इन किसानों के कागजात दुरुस्त होंगे, रोकी गई राशि तत्काल उनके बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी ताकि किसानों को जल्द राहत मिल सके।

खेतों में भर गया था पानी, फसलें हुई थी बर्बाद

विदित हो कि एक फरवरी को ग्राम सगड़ा-झपनी के पास बरगी बांध की दाईं तट नहर टूट गई थी। पानी आसपास स्थित खेतों में भर गया था । इससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था । साथ ही कइयों के तो उपकरण जैसे- मोटर, पाइप आदि बह गए थे। पानी की निकासी पूरी तरह बंद कर दी गई थी। इसके बाद मलबा भरते हुए मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया था ।6.95 किमी में मरम्मत कार्य करया गया था । नहर टूटने से किसानों के नुकसान का आकलन किया गया था।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57